न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या :– 4/2014

दायर दिनांक–28.3.2014
फैसल दिनांक– 12.3.16

श्रीमती मीरं पुत्री भीखा अंगारी जाति मीणा निवासी भेमई हाल अपने पति श्री लक्ष्मण मकवाना थनवासी उदयपुरा माफी तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(वादीया)

बनाम

1–श्रीमती रतन बेवा स्व0 श्री लालजी अंगारी जाति मीणा निवासी भेमई तहसील सागवाडा
2–श्री राकेश पिता स्व0 श्री शंकर मनात जाति मीणा निवासी भेमई
3–श्री महेन्द्र पिता स्व.श्री शंकर मनात जाति मीणा हाल निवासी भेमई
4– श्रीमती रमीला पुत्री स्व0श्री लालजी अंगारी जाति मीणा निवासी भेमई हाल अपने पति श्री भगु मीणा निवासी नाहरपुरा तहसील सागवाडा
5– श्रीमती समन पुत्री स्व0श्री लालजी अंगारी जाति मीणा निवासी भेमई हाल अपने पति श्री खेमा परगी निवासी दादरोडा तहसील सागवाडा
6– श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री लालजी अंगारी जाति मीणा निवासी भेमई हाल अपने पति श्री ळरीश रोत निवासी चितरी
7–राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री शेलेन्द्र जैन

वाद अन्तर्गत धारा 88,209,राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 125 ,136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा मुताबिक वादीया धूला पिता वाला अंगारी की पौत्री होकर श्री भीखा पिता श्री धुला अंगारी की एक मात्र पुत्री है तथा प्रतिवादीगण वादीया के सगे काका स्व. लालजी पिता श्री धुला अंगारीके वारीसदार है । यह कि भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान सरकार खतौनी बन्दोवस्त संवत 2022 के मौजा गॉव भेमई के क्रम संख्या 116 खाता संख्या 113 में कुल खेत 8 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा,जो वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है जो वादीया के पिता के पिता धुला वल्द वाला मीणा के खातेदारी स्वामित्व व कब्जेदारी है । वादीया के पिता के पिता श्री धुला पिता वाला मीणा की मृत्यु के बाद उनकी उत्तराधिकारी व वारीसान में वादीया के

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

पिता भीखा एवं कचरा व लालजी ही थे तथा कचरा लाऔलाद फौत होने के कारण तथा उक्त वर्णित खेतों पर एक मात्र कब्जा वादिया के पिता एवं वादिया के काका लालजी का आधा आधा रहा तथा वादीया केपिता की मृत्यु के बाद 1/2 भाग पर शान्तिपूर्ण ढंग से वादीया खेती कर फसल इत्यादि प्राप्त करती आ रही है तथा 1/2 भाग पर लालजी की मृत्यु के बाद वारीसान में प्रतिवादीगण का हिस्सा व स्वामित्व है । वादीया के पिता की जमीन 1/2 हिस्से पर वादीया का नाम खाते में दर्ज न होकर केवल वादीया के पिता के सगे भाई लालजी पिता धूला का ही नाम दर्ज है व वादीया के काका लालजी पिता धूला ने वादीया के पिता लाऔलाद फौत होना बताकर उन्होने अपना नाम दर्ज करा लिया ।वाद के अन्त में वादीया ने जमाबन्दी संवत 2067–70 मौजा भेमई के खाता नम्बर 337 नया , 326 पुराना में कुल खेत 8 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा में लालजी पिता धूला मीणा के साथ सहखातेदार 1/2 हिस्सा वादीया का वाद पत्र में बताये अनुसार स्व0 भीखा पिता धुला की एक मात्र वारीस पुत्री होने से खाते में इन्द्राज दुरस्ती व खातेदार घोषित करने निवेदन किया गया है ।

वादीया ने वाद की पुष्टि में शपथ पत्र एवं नकल जमाबन्दी संवत 2022, नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने से जवाबप्रतिवादी बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

वादी की ओर से साक्ष्य में वादीया स्वयं मीरं पुत्री भीखा पी0डबलू0 1, लकसी पिता रूपसी पी0डबलू0 2 एवं पूँजा पिता नाथू पी0डबलू03 के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रस्तुत दस्तावेज नकल सेटलमेण्ट संवत 2022 प्रदर्श–1 ,वर्तमान जमाबन्दी संवत 2067–70 की नकल प्रदर्श –2 , प्रदर्श कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

चूँकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हैं अतः वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पीढीनामा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि मूल पुरूष धूला पिता वाला थे धुला की तीन सन्तान भीखा ,कचरा, एवं लालजी हुए । कचरा ला औलाद फौत होने से भीखा के एक मात्र पुत्री मीरं वादीया स्वंय एवं लालजी के वारीसान प्रतिवादीगण है। वादग्रस्त आराजीयात प्रदर्श–1 जो कि भूप्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत 2022 है ,में धूला के नाम से दर्ज है। प्रदर्श –2 जो कि वर्तमान जमाबन्दी है , में खातेदार के स्थान पर लालजी पिता धूला मीणा दर्ज है । वकील वादी ने अपनी बहस में लालजी के साथ मीरं वादीया का नाम सहखातेदार दर्ज होना चाहिये था जो नहीं हुआ अतः यह वाद प्रस्तुत कर वादीया का नाम इस खाते में दर्ज करने निवेदन किया जाना बताया।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि मौके पर वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने यानि कि 1/–1/2 हिस्से पर काबीज हो काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे वादीया का नाम नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। भूप्रबन्ध विभाग जमाबन्दी संव 2022 में वादग्रस्त आराजीयात धूला पिता वाला के नाम दर्ज है। धूला के फौत होने के पश्चात धूला के खाते की आराजीयात नियमानुसार धूला के वारीसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन अकेले लालजी के वारिसान का ही नाम दर्ज है । चूँकि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक है एवं मौके पर वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने 1/2–1/2 हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है अतः वादीया वाद ग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित कराने की अधिकारी है ।

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि मोजा भेमई की जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 337 कुल खेत किता 8 रकबा 15बीघा 05बिस्वा में वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है ।

डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक .....12/3/16..... को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner